बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 206803 पटना, दिनांक:- 25/10/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(॥ वि0अभि0)-102-14/2012

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
सभी ग्रामीण आवास सहायक ।

विषय:- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभुकों को द्वितीय/अग्रेतर किश्त की सहायता राशि भुगतान की व्यवस्था कर निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-166966 दिनांक-23.10.13

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को द्वितीय/अग्रेतर किश्त की सहायता राशि उपलब्ध कराने में खुलापन एवं पारदर्शिता को दृष्टिपथ रखने के साथ-साथ लाभुक को ससमय सहायता राशि उपलब्ध कराकर अधूरे/अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के उद्देश्य से प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थे । इसमें प्रखण्ड स्तर पर RTPS काउंटर के बगल में स्थायी काउंटर स्थापित कर लाभुकों से द्वितीय/अग्रेतर किश्त की राशि के भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर निरीक्षण कराकर द्वितीय/अग्रेतर किश्त की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था । किन्तु ऐसा लगता है कि या तो प्रखण्ड कार्यालयों में इस व्यवस्था की जानकारी लाभुकों को नहीं मिल सकी अथवा लाभुक प्रखण्ड कार्यालय में किये गये इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा सकें क्योंकि जिलों द्वारा काफी संख्या में निर्माणाधीन आवासों का प्रतिवेदन दिया जा रहा है । बड़ी संख्या में आवासों के निर्माणाधीन रहने पर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए इसे पूर्ण कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ताकि इस महत्वाकांक्षी योजना की उपयोगिता सिद्ध हो सके ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत राज्य/जिलों को केन्द्रांश द्वितीय किश्त की निधि की विमुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों में से एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि तीन वर्ष से पहले के स्वीकृत आवासों का शत प्रतिशत एवं दो से तीन वर्ष पहले स्वीकृत आवासों का 75% निर्माण कार्य संपन्न हो गया हो । ऐसी स्थिति में सभी निर्माणाधीन आवासों को विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करा लिया जाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में चूँकि अब सभी ग्राम पंचायतों में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन कराने के लिए ग्रामीण आवास सहायक तथा प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक उपलब्ध हैं, अतएव इस महत्वपूर्ण योजनान्तर्गत लाभुकों को द्वितीय / अग्रेतर किश्त की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निम्नवत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) वर्ष 2013-14 एवं उसके पूर्व के वैसे लाभुक जिन्हें द्वितीय / अग्रेतर किश्त की राशि दिया जाना बाकी है, की ग्राम पंचायतवार सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्रामीण आवास सहायक को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दी जायेगी । सूची में लाभुक का नाम, पता, बी.पी.एल. संख्या,

स्वीकृति की तिथि, योजना संख्या, प्रथम किश्त के रूप में भुगतान की गई राशि का विवरण (यदि तीन किश्तों में भुगतान किया जाना था तो द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान की गई राशि) का भी उल्लेख रहेगा ।

(2) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी ग्रामीण आवास सहायकों का ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य करने के लिए गांव वार साप्ताहिक कार्य दिवस निर्धारित किया जायेगा कि किस दिन किस गांव में वे उपलब्ध रहेंगें तथा इसका व्यापक रूप से ग्राम पंचायत में प्रचार प्रसार कराया जायेगा ताकि गांव के निवासी इंदिरा आवास योजना के संबंध में आवश्यकतानुसार इनकी सेवा का लाभ प्राप्त कर सकें ।

(3) ग्रामीण आवास सहायक द्वितीय/अग्रेतर किश्त वाले लाभुकों की सूची में अंकित लाभुकों से संलग्न Triplicate प्रपत्र (जिसकी आपूर्ति विभाग द्वारा जिलों को अलग से की जा रही है एवं जिसका एक मानक प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है) में आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना तिथि सहित हस्ताक्षर एवं नाम के साथ उसकी एक प्रति लाभुक को देंगे । उसकी एक प्रति कार्यालय प्रति के रूप में अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा प्रखण्ड कार्यालय में दी जाने वाली प्रति प्रतिवेदन सहित 7 (सात) दिनों के अंदर प्रखण्ड कार्यालय में अग्रसारण पत्र द्वारा स्वयं समर्पित करेंगे ।

(4) अग्रसार पत्र, जिसके द्वारा ग्रामीण आवास सहायक अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे की प्रति संलग्न की जा रही है । उक्त अग्रसारण पत्र की आपूर्ति विभाग द्वारा जिलों को अलग से की जा रही है । ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण आवास सहायक के कार्यों का मूल्यांकन द्वितीय/अग्रेतर किश्त की राशि सके अंतरण हेतु ससमय दिये गये कार्यों के आधार पर करेंगे । इस क्रम में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की राशि की विमुक्ति जिले में आरंभ शेष (Opening Balance) + वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि + सूद आदि मद की राशि के बाद कुल उपलब्ध राशि के न्यूनतम 60% राशि के व्यय के पश्चात ही की जायेगी । अत: लाभुकों को द्वितीय/अग्रेतर किश्त की राशि का भुगतान लाभुक के आवास निर्माण कार्य को पूर्ण करने के साथ-साथ भारत सरकार से द्वितीय किश्त की राशि विमुक्त कराने के लिए भी अति आवश्यक है ।

(5) यदि किसी लाभुक ने प्रथम किश्त की सहायता राशि प्राप्त कर मकान निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं किया है अथवा मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है, तो उन्हें इसे पूरा करने हेतु ग्रामीण आवास सहायक प्रेरित करेंगे । लाभुक को यह भी जानकारी देंगे कि यह सहायता राशि आपके आवास विहीन होने के कारण आवास की समस्या के समाधान के लिए दिया गया है और इसका लाभ मात्र एक बार ही अनुमान्य है, अत: सहायता राशि का उपयोग सुनिश्चित कर मकान का निर्माण करा लें अन्यथा सहायता राशि के दुरूपयोग करने के चलते आपको दी गयी सहायता राशि की वसूली की जायेगी । साथ ही अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जायेगी । वैसे हठी लाभुक जो सहयता राशि के उपयोग करने की दिशा में अग्रसर नहीं दिखते हैं उन मामलों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के संज्ञान में लायेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी लाभुक के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

(6) ग्रामीण आवास सहायक लाभुक के द्वितीय /अग्रेतर किश्त की राशि का भुगतान संबंधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के साथ ही लाभुक द्वारा निर्माणाधीन/निर्मित इंदिरा आवास का लाभुक सहित फोटोग्राफ लेकर लाभुक के विवरण सहित प्रखण्ड में ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य में सहयोग के लिए रखे गये कार्यपालक सहायक की मदद से आवास साफ्ट पर अपलोड करायेंगे ।

(7) ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा लाभुक को द्वितीय/अग्रेतर किश्त के भुगतान संबंधी की गई अनुशंसा में निहित विवरण का प्रखण्ड के अभिलेखों से मिलान करते हुए दूसरे सप्ताह (आवेदन पत्र प्राप्त होने/स्थानीय जॉच की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर) में लाभुक के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यंम से द्वितीय/अग्रेतर किश्त की सहायता राशि अंतरित कर दी जायेगी । यदि किसी लाभुक के पास बैंक खाता नहीं हो तो उसका बैंक खाता खुलवाया जायेगा । खाता खोलने में 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' सहायक हो सकती है ।

(8) ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा लाभुक को द्वितीय/अग्रेतर किश्त के भुगतान संबंधी की गई अनुशंसा में से रैण्डम बेसिस पर प्रति पंचायत 5% लाभुकों के संबंध में जॉच ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के द्वारा की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
25/10/14

ज्ञापांक 206803 पटना, दिनांक 25/10/14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 206803 पटना, दिनांक 25/10/14

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
25/10/14

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

..... ।

विषय :- **इंदिरा आवास के लाभुकों से द्वितीय/अग्रेतर किश्त की राशि के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में अनुशंसा ।**

महाशय,

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निम्नांकित लाभुकों (नीचे विवरण में अंकित) के निर्माणाधीन आवासों की प्रगति का स्थलीय जॉच किया गया :-

क्र0 सं0	लाभुक का नाम	पिता/पति का नाम	गांव का नाम	बी.पी.एल. सं0	लाभुक द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने की तिथि	जॉच में पाये गये तथ्य एवं तदनुसार अनुशंसा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

लाभुक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र/आपसे प्राप्त सूची के आलोक में मेरे द्वारा स्थलीय जॉच की गयी लाभुक से द्वितीय /अग्रेतर किश्त के भुगतान हेतु प्राप्त किये गये आवेदन पत्र की प्रखण्ड कार्यालय की प्रति इसके साथ संलग्न है ।

उपर्युक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर किश्त के भुगतान की अनुशंसा की जाती है ।

विश्वासभाजन

ग्रामीण आवास सहायक का हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत का नाम.....
प्रखण्ड का नाम.....

इंदिरा आवास योजना अंतर्गत राशि विमुक्ति हेतु आवेदन पत्र का निबंधन पंजी

<u>कार्यालय प्रति</u>

निबंधन संख्या :- .....

तिथि :- .....

सेवा में,

.....,

ग्राम पंचायत .....,

प्रखण्ड .....,

विषय :- इंदिरा आवास योजना अंतर्गत ..... किश्त की राशि ..... रूपया विमुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

मैं ..... पति/पिता ..... गांव/टोला ..... ग्राम/पंचायत ..... का निवासी हूँ । बी.पी.एल. सूची में मेरा नाम क्रम संख्या ..... पर अंकित है । मुझे इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु .....किश्त के रूप में रूपया ..... प्राप्त हुआ है । मैंने मार्गदर्शिका के अनुरूप कुर्सी/लिंटर/छत तक का निर्माण कार्य कर लिया है । अनुरोध है कि शेष निर्माण कार्य के लिए मुझे ..... किश्त की राशि रूपया .....प्रदान करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

लाभार्थी का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

दिनांक .....

इंदिरा आवास योजना अंतर्गत राशि विमुक्ति हेतु आवेदन पत्र का निबंधन पंजी

<u>प्रखण्ड कार्यालय प्रति</u>

निबंधन संख्या :- .....

तिथि :- .....

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

.....,

जिला - .....,

विषय :- इंदिरा आवास योजना अंतर्गत लाभार्थी श्री/श्रीमती ..... पति/पिता ..... ग्राम/टोला ..... ग्राम पंचायत ..... को आवास निर्माण हेतु किश्त की राशि ..... रूपया विमुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लाभार्थी **लाभार्थी श्री/श्रीमती ..... पति/पिता ..... ग्राम/टोला ..... ग्राम पंचायत ..... ने इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका के** अनुरूप कुर्सी/लिंटर/छत तक का निर्माण कार्य कर लिया है । लाभार्थी का नाम बी.पी.एल. सूची में क्रम संख्या ..... पर अंकित है । शेष निर्माण कार्य के लिए लाभार्थी श्री/श्रीमती ..... को ..... किश्त की राशि ..... रूपया भुगतान की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है ।

विश्वासभाजन

आवास सहायक का हस्ताक्षर

दिनांक .....

इंदिरा आवास योजना अंतर्गत राशि विमुक्ति हेतु आवेदन पत्र का निबंधन पंजी

<u>आवेदक प्रति</u>

निबंधन संख्या :- .....

तिथि :- .....

सेवा में,

श्री/श्रीमती .....,

ग्राम टोला .....,

ग्राम पंचायत .....,

प्रखण्ड .....,

विषय :- इंदिरा आवास योजना अंतर्गत ..... राशि ..... रूपया विमुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक ..... को इंदिरा आवास निर्माण हेतु ..... किश्त की राशि ..... रूपया के भुगतान हेतु आपका आवेदन प्राप्त हुआ है/आपके निर्माणाधीन आवास का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है । आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर (दिनांक ..... तक), आपका आवेदन निर्माणाधीन आवास की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्रखण्ड कार्यालय भेज दिया जायेगा ।

विश्वासभाजन

आवास सहायक का हस्ताक्षर

दिनांक .....